न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **140/20 (वाद)**

GCMS No. : 2020/00306

1. श्री हीरालाल पिता श्री मानाजी डांगी जाति डांगी आयु 50 वर्ष निवासी खेडी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. श्री रूपलाल पिता श्री मानाजी डांगी जाति डांगी आयु 39 वर्ष निवासी खेडी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. श्री किशनलाल पिता श्री मानाजी डांगी जाति डांगी आयु 32 वर्ष निवासी खेडी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. श्रीमती बालीबाई पत्नी श्री मानाजी खांगी जाति डांगी आयु 72 वर्ष निवासी खेडी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. श्री वक्तावर लाल पिता श्री कालूजी डांगी जाति डांगी आयु 65 वर्ष निवासी खेडी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. श्री गिरीराज पिता श्री लच्छीरामजी डांगी जाति डांगी आयु 32 वर्ष निवासी खेडी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. श्रीमती कमला पत्नी श्री लच्छीरामजी डांगी जाति डांगी आयु 51 वर्ष निवासी खेडी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री रामा पिता श्री दूदाजी डांगी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी खेडी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. श्री लोगर पिता श्री दूदाजी डांगी जाति डांगी आयु वयस्क (मानसिक रोगी) निवासी खेडी घासा, तहसील गावली, जिला उदयपुर (राज०) जरिये संरक्षक पत्नी श्रीमती लीला डांगी पत्नी श्री लोगर डांगी निवासी खेडी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. श्री भूरा पिता श्री दल्ला जी डांगी, जाति डांगी उम्र वयस्क निवासी खेडी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. श्री वालूराम पिता श्री दल्ला जी डांगी, जाति डांगी उम्र वयस्क निवासी खेडी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. श्रीमती सोहनीबाई पुत्री श्री दल्ला जी डांगी, जाति डांगी उम्र वयस्क निवासी खेडी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. श्रीमती केसीबाई पुत्री श्री दल्ला जी डांगी, जाति डांगी उम्र वयस्क निवासी खेडी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. भूमिधारी जरिये तहसीलदार मावली, उदयपुर (राज०)

.....प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:59:00 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित–1. श्री तुलसीराम डांगी, अधिवक्ता।

वाद अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निर्णय

दिनांक : 23.03.2026

1. वादीगण द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य होकर इनके खानदान का सजरा निम्न प्रकार है :–

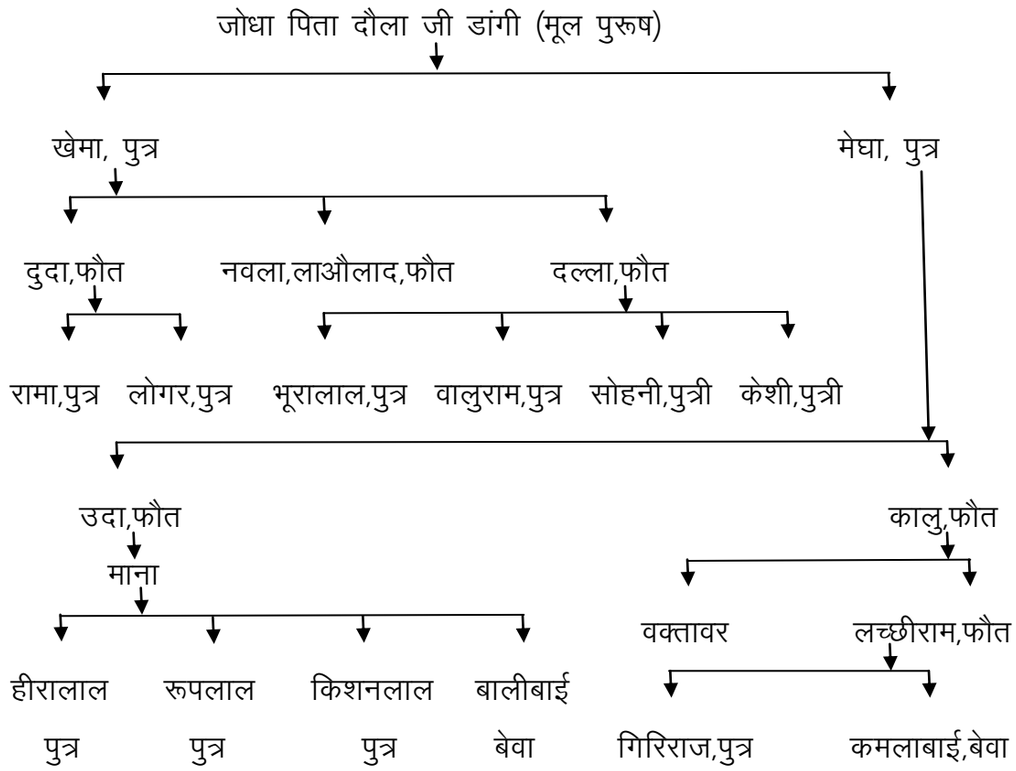

2. यह कि राजस्व ग्राम खेडी घासा पटवार क्षेत्र धोली मगरी, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र घासा, तहसील मावली जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 39, 40, 101, 111, 112, 122, 137, 138, 290, 293, 530, 619 किता 12 कुल रकबा 18 बीघा 6 बिस्वा भूमि, आराजी नम्बर 98, 287 किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि, आराजी नम्बर 125 किता 1 कुल रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा भूमि, आराजी नम्बर 473 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि स्थित है।

3. यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण के मूल पुरुष जोधा पिता दौला डांगी थे जिनका निधन आज से करीब 90–100 वर्ष पूर्व हो गया। जोधा के दो पुत्र खेमा व मेघा हुये, दोनों पुत्रो का निधन हो चुका है, खेमा के पुत्र क्रमशः दुदा, नवला व दल्ला हुये तीनो भाईयो का निधन हो चुका है. नवला के कोई संतान नही थी, उनकी पत्नी लच्छुबाई का निधन हो चुका है। इसी प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:59:00 IST
Reason: SelfAttested

सजरे में बताये अनुसार दूदा के दो पुत्र रामा व लोगर हुये जो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 है, दुदा की पत्नी का निधन हो चुका है। दल्ला पिता खेमा के वारीसान प्रतिवादी संख्या 3 से 6 तक है। इसी तरह मेघा पिता जोधा के दो पुत्र क्रमशः उदा व कालू हुये, उदा का आज करीब 40 वर्ष पूर्व निधन हो गया तथा कालू पिता मेघा डांगी का भी 70 वर्ष की उम्र में आज से करीब 20 वर्ष पूर्व निधन हो गया। उदा के एक पुत्र माना हुआ जिनका भी निधन हो चुका है। माना के वारीसान प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तक है। इसी तरह कालू से दो संतान उत्पन्न हुई जो वक्तावर व लच्छीराम होकर उनमे से लच्छीराम का निधन हो गया है जिनके वारीसान वादी संख्या 6 व 7 है। उपरोक्त बताये सजरे अनुसार जोधा पिता दौला जी डांगी एवं उनके पुत्र खेमा व मेघा हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य होकर शामिल शरीक रहते थे तथा उनके जीवनकाल में कोई भी भूमि किसी के नाम पर खरीदी गई हो, आवंटित हुई हो या परिवार की मौरूसी जायदाद हो व शामिल शरीक मानी जाती थी तथा दोनों भाईयों का ऐसी भूमि में बराबर बराबर हक हिस्सा निहित होता था इस तरह उक्त वादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज के समय की होकर हिन्दू संयुक्त परिवार की मौरूषी जायदाद है।

4. यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण के मौरुष जोधा जी का निधन आज से करीब 90–100 वर्ष पूर्व हो चुका है जोधा जी व उनके दोनों पुत्र खेमा व मेघा तीनों ही अपने शामिल शरीक एक ही परिवार में रहते थे खेमा परिवार में बड़ा पुत्र होकर कर्ताखानदान था जो घर का व बाहर का सारा काम उनकी देख रेख में तथा उनके द्वारा ही किया जाता था आज से करीब 80–90 वर्ष पूर्व रियासत काल में परिवार के बडे पुत्र या कर्ताखानदान के नाम पर जमीन दर्ज करने का रिवाज चलन में हुआ करता था इसलिये जोधा पिता दौला डांगी के निधन के बाद प्रथम जमाबन्दी महकमे बदोबस्त मेवाड उदयपुर राज. द्वारा बनाई गई उस समय वादीगण के मौरूष जोधा पिता दौला डांगी का निधन हो चुका था महकमा बन्दबस्त विभाग द्वारा जोधा जी के समय की जमीन जायदाद का बदोबस्त करते समय कर्ताखानदान की हैसियत जोधा के बडे पुत्र खेमा अकेले के नाम जमाबन्दी बदोबस्त में एवं भू प्रबंध विभाग द्वारा जो खसरा तैयार किया गया। उसमें भी खेमा डांगी अकेले के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कर दिया गया जबकि वादग्रस्त जायदाद जो खसरा भू प्रबंध विभाग द्वारा सम्वत् 2021 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:59:00 IST
Reason: SelfAttested

तैयार किया गया उसकी क्रम संख्या 25 में वादी के मौरूष (पूर्वज) जोधा डांगी के खानदान का सजरा दिया गया है उसमें भी जोधा के दो पुत्र खेमा व मेघा अंकित किया हुआ है तथा खेमा के तीन पुत्र नवला दुदा दल्ला अंकित किया हुआ है तथा इनके नाम के आगे 1/2 हिस्सा अंकित किया गया है। इसी तरह मेघा के दो पुत्र उदा व कालू इसी सजरे में बता रखे है तथा इनके नाम के आगे 1/2 हिस्सा अंकित कर रखा है लेकिन महकमा बदोबस्त विभाग मेवाड राज्य उदयपुर द्वारा प्रथम जमाबन्दी तैयार करते समय महकमा बदोबस्त विभाग के राजस्व कर्मचारियों व अधिकारीयों की गलती लापरवाही से जमाबन्दी के खातेदार की कॉलम में कर्ताखानदान की हैसियत से खेमा पिता जोधा डांगी का नाम ही दर्ज कर दिया गया जबकि वादग्रस्त भूमि जोधा जी के समय की होकर संयुक्त परिवार की सम्पत्ति होने से जोधा डांगी के दोनों पुत्र खेमा व मेघा के नाम पर भूमि राजस्व अभिलेख में बराबर बराबर हक व हिससे से दर्ज होनी चाहिये थी। इस तरह खेमा डांगी के निधन के बाद वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि खेमा के उत्तराधिकारीयों में फर्दन फर्दन नामान्तरित कर दी गई इस तरह वर्तमान राजस्व अभिलेख व जमाबन्दी में वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज हिस्सेनुसार दर्ज रिकोर्ड है जबकि वादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की मौरूषी जायदाद होकर हिन्दु संयुक्त परिवार की जायदाद है इसलिये वादग्रस्त भूमि में जोधा पिता दोला डांगी के दोनों पुत्र खेमा व मेघा का समान हक व हिस्सा निहित है तथा इसी हक हिस्से अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वजं मौके पर काबिज होकर भूमि का उपयोग उपभोग खेती करते रहे है तथा उनके निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी व वादीगण व प्रतिवादीगण काबिज होकर भूमि का उपयोग उपभोग खेती करते चले आ रहे है। इस तरह खेमा पिता जोधा डांगी का 1/2 हक हिस्सा जमाबन्दी महकमा बदोबस्त में दर्ज होना चाहिये था तथा 1/2 हक हिस्सा प्रथम जमाबन्दी महकमा बदोबस्त में मेघा पिता जोधा डांगी का नाम दर्ज होना चाहिये था तथा उनके निधन के बाद इसी हक हिस्से अनुसार उनके वारीसान के नाम पर भूमि दर्ज होनी चाहिये थी। वादग्रस्त भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज खेमा व मेघा के बीच आज से करीब 85–90 वर्ष पूर्व मौके पर बराबर बराबर हक हिस्से से बंटवाडा कर लिया [illegible] वादीगण व प्रत्तिवादीगण के पूर्वज

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:59:00 IST
Reason: SelfAttested

तथा उनके निधन के बाद उनके उपरोक्त सजरे में बताये अनुसार विधिक वारीसान मौके पर अलग अलग काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।

5. यह कि इस तरह वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के नाम पर दर्ज हिस्से की भूमि में वादी संख्या 1 से 4 तक का संयुक्त रूप से 1/4 हक हिस्सा है। वादी संख्या 5 का 1/8 वां हक हिस्सा है तथा वादी संख्या 6 व 7 का संयुक्त रूप से 1/8 हक हिस्सा है इसी तरह प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से 1/4 हक हिस्सा है, प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5, 6 का संयुक्त रूप से 1/4 हक हिस्सा है। पक्षकरान् इसी हक हिस्सेनुसार मौके पर अपने पूर्वजों के समय से काबिज होकर भूमि का उपयोग उपभोग व काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण के हक हिस्से में जो भूमि आई उस भूमि की सिंचाई हेतु कुंआ आज से करीब 50–55 वर्ष पूर्व खुदवाया जिसमें खर्चा वादीगण एवं उनके पूर्वजों के द्वारा ही वहन किया गया है। इस तरह वादीगण का वादग्रस्त भूमि में अपने पूर्वजों के समय से ही एक्सक्लूजीव भू भाग पर कब्जा व आधिपत्य होकर बतौर खातेदारी हक से भूमि का उपयोग उपभोग निर्बाध रूप से करते चले आ रहे है इस तरह वादग्रस्त भूमि वादीगण की हिन्दू संयुक्त परिवार की मौरूषी जायदाद होने से वादपत्र की कलम संख्या 7 में वर्णित हक हिस्से अनुसार अपने खातेदारी हको की घोषणा कराने के कानूनन अधिकारी है। वादीगण का अपने पूर्वजों के समय से यानि विगत 85–90 वर्षो से मौके पर वादग्रस्त भूमि पर एक्सक्लूजीव भूमि पर कब्जा व आधिपत्य होने से प्रतिवादीगण का धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में उपबंधित प्रावधानों के तहत भी प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके है इस तरह वादीगण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी वादग्रस्त भूमि के वास्तविक खातेदार काश्तकार बन गये है। इस आधार पर भी वादीगण अपने खातेदारी हको के घोषणा कराने के कानूनन अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि अकेले प्रतिवादीगण के नाम पर होने से भूमि किसी भी तरिके से किसी भी व्यक्ति को हस्तान्तरित व बेह बख्क्षीश कर सकते है जिससे पक्षकारान् के मध्य मुकदमें बाजी में गुणात्मक वृद्धि होने की पूरी सम्भावना है ऐसी अवस्था में वादीगण वादग्रस्त भूमि पर स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:59:00 IST
Reason: SelfAttested

6. यह कि वादकारण अंतिम बार दि[illegible]08.2019 को उत्पन्न हुआ जब वादीगण ने प्रतिवादीगण को भूमि अप[illegible]ाम पर कराने के लिये कहा तो

उन्होने कानूनी कार्यवाही करने हेतु सलाह दी उसके बाद वादकारण विरूद्ध प्रतिवादीगण निरंतर जारी है।

7. अंत में निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिकी पारित फरमाई जावे कि उक्त वर्णित प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज हिस्से की भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम पर वादी संख्या 1 से 4 तक को संयुक्त रूप से 1/4 हक हिस्से के एव वादी संख्या 5 को 1/8 हक हिस्से और वादी संख्या 6 व 7 को संयुक्त रूप से 1/8 हक हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित फरमाये जावे तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद फरमाया जावे। प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि वह वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादीगण किसी भी तरिके से किसी भी व्यक्ति को हस्तान्तरित, विक्रय आदि नही करे तथा मौके व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

8. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 7 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से जवाब पेश नही करना चाहा। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। तत्पश्चात प्रतिवादीगण की और से अधिवक्ता श्री नरेशडांगी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 जा.दी. एवं वकालत पत्र मय जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 जा.दी. स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को पुनः रिकॉर्ड पर लिया गया। प्रतिवादी संख्या 2 लोगर को मानसिक रोगी बताकर प्रतिवादी संख्या 2 की पत्नी एवं वादीगण द्वारा पृथक पृथक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्नी को संरक्षक बनाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. प्रस्तुत किए। दोनो प्रार्थना पत्र स्वीकार किए गए। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रकरण हीरालाल, रूपलाल, किशनलाल, वाली बाई वक्तावर लाल, गिरीराज एवं कमला डांगी निवासी खेडी घासा तहसील मावली की ओर से हम प्रतिवादीगण रामा लोगर भुरा, वालुराम सोहनी बाई एंव केसी बाई के विरूद्ध मौजा खेडी घासा पटवार हल्का धोली मगरी, तहसील मावली जिला उदयपुर में स्थित आराजी संख्या 39, 40, 101, 111, 112, 122, 137, 138, 290, 293, 53[illegible]ल किता 12 कुल रकबा 18 बीघा 6 बिस्वा भूमि तथा आ[illegible]संख्या 98[illegible]7 रकबा 2 बीघा चार बिस्वा भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Rupadia
Date: 2026.04.16 15:59:00 IST
Reason: SelfAttested

एवपं आराजी संख्या 125 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा भूमि आराजी संख्या 477 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा का पेश किया गया है उक्त भूमि हमारे मौरूसी जोधा जी डांगी के समय की थी जोधा के दो पुत्र खेमा एवं मेगा हुए लेकिन जोधा जी के समय की उक्त भूमि हम मौरूसी जायदाद खेमा डांगी के नाम पर चढ गयी वादीगण के मौरूस मेघा डांगी का भी बराबर बराबर हक हिस्सा है यानि कि 1/2 हिस्सा खेमा डांगी एवं उनके निधन के बाद हम प्रतिवादीगण के हक एवं हिस्से होकर कब्जे मे है तथा 1/2 हिस्सा वादीगण के मौरूस मेगा डांगी एवं उनके निधन के बाद उनके वारिसान के कब्जे एवं हिस्से मे है। उक्त आराजी की भूमि में वादी हीरालाल, रूपलाल, किशनलाल वाली बाई चारो का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा है तथा वक्तावर लाल वादी संख्या 5 का भी 1/8 हिस्सा है तथा वादी संख्या 6 एवं 7 गिरीराज एवं कमला डांगी का सयुक्त रूप से 1/8 वा हिस्सा है तथा हम प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 रामा एवं लोगर का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5 एवं 6 यानि कि भुरा, वालुराम, सोहनी बाई एंव केसी बाई का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा है हम सभी पक्षकारान काबिज होकर खेती करते चले आ रहे है। लेकिन हम प्रतिवादीगण का मुखिया खेमा डांगी परिवार मे बड़े होने से भूमि उनके नाम पर हो गयी थी लेकिन वादीगण के मौरूस मेगा डांगी का भी 1/2 हिस्सा था उक्त वर्णित हिस्से अनुसार भूमि हम पक्षकारान के नाम पर खाते में दर्ज करवायी जावे जिससे हम प्रतिवादीगण को कोई आपति नही है।

9. प्रकरण में साक्ष्यवादी गवाह पी.डब्ल्यू 1 वक्तावरलाल पिता कालु डांगी निवासी खेड़ीघासा तहसील मावली, गवाह पी.डब्ल्यू 2 हीरालाल पिता माना डांगी निवासी खेड़ीघासा तहसील मावली के शपथ पत्र प्रस्तुत किए। साक्ष्यवादी गवाह पी.डब्ल्यू 1 वक्तावरलाल पिता कालु डांगी निवासी खेड़ीघासा तहसील मावली द्वारा दस्तावेज जमाबन्दी नकल प्रदर्श 1 से 6, खसरा सेटलमेन्ट विभाग की नकल प्रदर्श 7 पेश किये। खसरा सेटलमेन्ट सम्वत् 2021 में हमारे मौरूस श्री जोधा जी के उत्तराधिकारी का सजरा अंकित हैं तथा यह जमीन हमारे मौरूस जोधा जी के समय की हैं। जिस पर जोधा जी के वारिसान बराबर बराबर हिस्से पर काबिज हैं। यानि 1/2 हिस्सा जोधा के पुत्र खेमा के वारिसान का हिस्सा तथा 1/2 हिस्सा जोधा के दूसरे पुत्र मेघा के वारिसान का हैं। इसलिए माफीक दावे हम वादीगण के नाम जमीन खाते में कराई जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Purohit
Date: 2026.04.16 15:59:00 IST
Reason: SelfAttested

10. प्रकरण में अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा "No Instt. Plead" किया गया। अधिवक्ता वादीगण की एकतरफा दावा बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र के अंकित तथ्यो को दौहराते हुए वादीया के वाद पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

11. हमने अधिवक्ता वादीगण की एकतरफा बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की ग्राम खेड़ीघासा पटवार हल्का धोलीमगरी तहसील घासा की आराजी नम्बर 39, 40, 101, 111, 112, 122, 137, 138, 290, 293, 530, 619 किता 12 कुल रकबा 18 बीघा 6 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 एवं 6 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। इसी प्रकार आराजी नम्बर 287, 98 किता 2 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 4, 6 एवं अन्य सहखातेदारान नाम दर्ज रिकॉर्ड है। इसी प्रकार आराजी नम्बर 125 किता 1 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 4, 6 एवं अन्य सहखातेदारान नाम दर्ज रिकॉर्ड है। इसी प्रकार आराजी नम्बर 473 किता 1 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 4, 6 एवं अन्य सहखातेदारान नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श 7 भू–प्रबंध विभाग के मिलान पत्रक अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि नवला, दुदा, दला पिता खेमा डांगी के नाम दर्ज थी। परन्तु इसी मिलान पत्रक में कॉलम संख्या 25 में भू–प्रबंध अधिकारीयों द्वारा सजरा अंकित किया गया था। जिसमें मूल पुरूष जोधा को बताते हुए उसके दो पुत्र खेमा एवं मेघा अंकित किए गए है। खेमा के तीन पुत्र नवला, दुदा दला के आगे 1/2 हिस्सा एवं मेघा के दो पुत्र उदा एवं कालु के आगे 1/2 हिस्सा अंकित किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा भी स्वीकारात्मक जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उक्त वादग्रस्त भूमि हमारे मूल पुरूष जोधा की थी। परन्तु प्रथम मेवाड सेटलमेंट के दौरान मूल पुरूष जोधा का निधन हो जाने से उसके बड़े पुत्र खेमा के नाम दर्ज कर दी गई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण यह भी स्वीकार कर रहे है कि मौके पर वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा कर पृथक–पृथक काबिज काश्त मूल जोधा के समय से ही कर रहे है।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि ग्रामीण परिवेश में परिवार में बड़ा पुत्र ही परिवार की जिम्मेदारियां निभ[illegible] मेवाड़ रियासत द्वारा करवाए गए प्रथम सेटलमेंट के दौरान मूल पुरूष जो[illegible] का निधन हो जाने से उसका बड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:59:00 IST
Reason: SelfAttested

पुत्र खेमा परिवार का मुखीया होने से राजस्व रिकॉर्ड में भी उसी का नाम दर्ज कर दिया गया। इस प्रकरण में वादग्रस्त भूमि मूल पुरूष जोधा की थी। प्रथम सेटलमेंट के दौरान जोधा का निधन हो जाने से प्रथम सेटलमेंट में ही वादग्रस्त भूमि में खेमा का नाम अंकित कर दिया गया। तत्पश्चात विरासत से वादग्रस्त भूमि खेमा के वारिसान के नाम ही दर्ज होती रही। जबकि मौके पर जोधा के दोनो पुत्र खेमा, मेघा के वारिसान अलग अलग काबिज होकर कब्जा काश्त कर रहे है। इस तथ्य को उभय पक्षकारान द्वारा स्वीकार किया गया है। साथ ही उक्त प्रदर्श 7 सेटलमेंट विभाग द्वारा मिलान पत्रक की कॉलम संख्या 25 में बनाए गए सजरे से भी प्रमाणित होता है। सेटलमेंट विभाग द्वारा दौराने सेटलमेंट केवल मात्र सजरा अंकित कर मेघा एवं खेमा के वारिसान के नाम के आगे 1/2–1/2 हिस्सा अंकित किया। जबकि सेटलमेंट विभाग तत्समय मूल पुरूष जोधा के दोनो पुत्रो खेमा एवं मेघा के वारिसान के नाम बराबर हिस्से से भूमि दर्ज कर देनी चाहिए थी। प्रतिवादी संख्या 3 एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र द्वारा 500 रूपये के स्टाम्प पर भी राजीनामा ईकरार टाईप कर प्रस्तुत किया है। न्यायालय का यह भी अभिमत है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत यदि किसी खातेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसमें निहित सम्पूर्ण भूमि उसके प्रथम श्रेणी के वारिस में निहित होती है। इस प्रकरण में भी खातेदार जोधा के निधन के पश्चात वादग्रस्त भूमि उसके वारिसान में निहित हुई। लेकिन सेटलमेंट विभाग द्वारा सेटलमेंट के दौरान वादग्रस्त भूमि जोधा के एक ही पुत्र के नाम दर्ज की गई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के कथनानुसार वादग्रस्त भूमि जोधा की होकर मौरूसी भूमि है। सेटलमेंट विभाग के मिलान पत्रक अनुसार भी यह साबित होता है कि जोधा के दोनो पुत्रो के वारिसान का बराबर बराबर हिस्सा होकर मौके पर कब्जा भी है। ऐसे में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत वादग्रस्त भूमि में मूल पुरूष जोधा के सभी वारिसान का हक हिस्सा निहित है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में भी जोधा के वारिसान का नाम बराबर हक हिस्से से दर्ज होना चाहिए। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार योग्य पाया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:59:00 IST
Reason: SelfAttested

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम खेड़ीघासा पटवार हल्का धोलीमगरी तहसील घासा की आराजी नम्बर 39, 40, 101, 111, 112, 122, 137, 138, 290, 293, 530, 619 किता 12 कुल रकबा 18 बीघा 6 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 एवं 6 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है, के बजाय वादी संख्या 1 से 4 को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से का, वादी संख्या 5 को 1/8 हिस्से का, 6 व 7 को संयुक्त रूप से 1/8 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1, 2 को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3, 6 को संयुक्त रूप से 1/8 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 4 को 1/8 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

इसी प्रकार आराजी नम्बर 287, 98 किता 2 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 4, 6 के नाम संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा दर्ज है, के बजाय वादी संख्या 1 से 4 को संयुक्त रूप से 1/12 हिस्से का, वादी संख्या 5 को 1/24 हिस्से का, 6 व 7 को संयुक्त रूप से 1/24 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1, 2 को संयुक्त रूप से 5/48 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3, 6 को संयुक्त रूप से 1/32 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 4 को 1/32 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

इसी प्रकार आराजी नम्बर 125 किता 1 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 4, 6 के नाम संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादी संख्या 1 से 4 को संयुक्त रूप से 1/8 हिस्से का, वादी संख्या 5 को 1/16 हिस्से का, 6 व 7 को संयुक्त रूप से 1/16 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1, 2 को संयुक्त रूप से 1/8 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3, 6 को संयुक्त रूप से 1/16 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 4 को 1/16 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

इसी प्रकार आराजी नम्बर 473 किता 1 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 4, 6 के नाम संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा दर्ज है, के बजाय वादी संख्या 1 से 4 को संयुक्त रूप से 1/24 हिस्से का, वादी संख्या 5 को 1/48 हिस्से का, 6 व 7 को संयुक्त रूप से 1/48 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1, 2 को संयुक्त रूप से 1/12 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3, 6 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:59:00 IST
Reason: SelfAttested

संयुक्त रूप से 1/48 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 4 को 1/48 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2026 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:59:00 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री हीरालाल पिता श्री मानाजी डांगी जाति डांगी आयु 50 वर्ष निवासी खेडी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. श्री रूपलाल पिता श्री मानाजी डांगी जाति डांगी आयु 39 वर्ष निवासी खेडी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. श्री किशनलाल पिता श्री मानाजी डांगी जाति डांगी आयु 32 वर्ष निवासी खेडी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. श्रीमती बालीबाई पत्नी श्री मानाजी खांगी जाति डांगी आयु 72 वर्ष निवासी खेडी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. श्री वक्तावर लाल पिता श्री कालूजी डांगी जाति डांगी आयु 65 वर्ष निवासी खेडी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. श्री गिरीराज पिता श्री लच्छीरामजी डांगी जाति डांगी आयु 32 वर्ष निवासी खेडी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. श्रीमती कमला पत्नी श्री लच्छीरामजी डांगी जाति डांगी आयु 51 वर्ष निवासी खेडी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री रामा पिता श्री दूदाजी डांगी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी खेडी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. श्री लोगर पिता श्री दूदाजी डांगी जाति डांगी आयु वयस्क (मानसिक रोगी) निवासी खेडी घासा, तहसील गावली, जिला उदयपुर (राज०) जरिये संरक्षक पत्नी श्रीमती लीला डांगी पत्नी श्री लोगर डांगी निवासी खेडी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. श्री भूरा पिता श्री दल्ला जी डांगी, जाति डांगी उम्र वयस्क निवासी खेडी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. श्री वालूराम पिता श्री दल्ला जी डांगी, जाति डांगी उम्र वयस्क निवासी खेडी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. श्रीमती सोहनीबाई पुत्री श्री दल्ला जी डांगी, जाति डांगी उम्र वयस्क निवासी खेडी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. श्रीमती केसीबाई पुत्री श्री दल्ला जी डांगी, जाति डांगी उम्र वयस्क निवासी खेडी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. भूमिधारी जरिये तहसीलदार मावली, उदयपुर (राज०)

.....प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:59:00 IST
Reason: SelfAttested

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 140/20 (वाद) GCMS No. – 2020/00306

यह वाद आज वास्ते अंतिम निर्णय हेतु पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. के समक्ष प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम खेड़ीघासा पटवार हल्का धोलीमगरी तहसील घासा की आराजी नम्बर 39, 40, 101, 111, 112, 122, 137, 138, 290, 293, 530, 619 किता 12 कुल रकबा 18 बीघा 6 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 एवं 6 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है, के बजाय वादी संख्या 1 से 4 को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से का, वादी संख्या 5 को 1/8 हिस्से का, 6 व 7 को संयुक्त रूप से 1/8 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1, 2 को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3, 6 को संयुक्त रूप से 1/8 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 4 को 1/8 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

इसी प्रकार आराजी नम्बर 287, 98 किता 2 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 4, 6 के नाम संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा दर्ज है, के बजाय वादी संख्या 1 से 4 को संयुक्त रूप से 1/12 हिस्से का, वादी संख्या 5 को 1/24 हिस्से का, 6 व 7 को संयुक्त रूप से 1/24 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1, 2 को संयुक्त रूप से 5/48 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3, 6 को संयुक्त रूप से 1/32 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 4 को 1/32 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

इसी प्रकार आराजी नम्बर 125 किता 1 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 4, 6 के नाम संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादी संख्या 1 से 4 को संयुक्त रूप से 1/8 हिस्से का, वादी संख्या 5 को 1/16 हिस्से का, 6 व 7 को संयुक्त रूप से 1/16 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1, 2 को संयुक्त रूप से 1/8 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3, 6 को संयुक्त रूप से 1/16 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 4 को 1/16 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:59:00 IST
Reason: SelfAttested

इसी प्रकार आराजी नम्बर 473 किता 1 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 4, 6 के नाम संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा दर्ज है, के बजाय वादी संख्या 1 से 4 को संयुक्त रूप से 1/24 हिस्से का, वादी संख्या 5 को 1/48 हिस्से का, 6 व 7 को संयुक्त रूप से 1/48 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1, 2 को संयुक्त रूप से 1/24 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3, 6 को संयुक्त रूप से 1/48 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 4 को 1/48 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

यह आज तारीख 23.03.2026 को न्यायालय से मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:59:00 IST
Reason: SelfAttested